दि0 हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	06.08.2019	

उपतहसीलदार छानीबडी द्वारा अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति, पंचायत समिति भादरा के पत्रांक 2831 दिनांक 31.08.18 के विरूद्व निगरानी पेश करते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थी ने एक अपील इस आशय से पेश कि ग्राम छानी बडी के रोही मौजा चक 5 सी.एच.एन. जो ख0न0 94 तादादी 1.138 हैक्ट0 भूमि गैरमूमकिन जोहड पायतन है जिसमें 2000 वर्गफुट पर ओमप्रकाश पुत्र रामजीलाल कुम्हार ने अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है, तथा उसने अपने अतिकमण वाली जगह पर अप्रार्थी स0 1 ने अप्रार्थी स0 2 के साथ साजबाज कर पटटे रामलाल पुत्र बद्रीराम जाति कुम्हार के नाम पटटा न0 0 दिनांक 07.09.79 तादादी 24.5 गुणा 30 जारी करवा लिया है। अप्रार्थी स0 2 ग्राम पंचायत को केवल आबादी भूमि में पटटा जारी करने का अधिकार है। परन्तु अप्रार्थी स0 1 ने तत्कालिन सरपंच ग्राम पंचायत छानीबडी से दुरभिसंधि करके राज्य सरकार को नुकसान पहुचाने की गरज से ग्राम छानीबडी के रोही मौजा चक 5 सीएचएन जो ख0न0 94 तादादी 1.138 हैक्ट0 भूमि गैरमुमकिन जोहड़ पायतन है जिसमें 2000 वर्गफुट जो राज्य सरकार की सम्पति है, जो आबादी भूमि से अलग है, जो रिकार्ड में गै0मु0 जोहड पायतन दर्ज है। अप्रार्थी द्वारा विधि विरूद्व किये गये अतिकमण के लिए प्रार्थी को राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 22 के तहत दिनांक 24.11.14 को अतिकमी घोषित किया जा चुका है। तथाकथित पटटे के आधार पर अपने अतिकमण को पुख्ता करने के लिए निर्माण कर रहे है तथा सरकारी कार्य में भी बाधा डाल रहे है, इसलिए उक्त पटटे तुरन्त प्रभाव से निरस्त किये जावे। उक्त पटटा को विधि विरूद्व होने व पटटा की जानकारी से अपील अन्दर मियाद होने से अपील अधिनस्थ न्यायालय में अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत पेश की गई परन्तु अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति भादरा द्वारा मात्र एक पत्रांक के आधार पर अपील मुल ही उचित कार्यवाही हेतु वापिस लोटा दी गई व लिखा गया की अपील राज0 पचायती राज0 अधिनियम 1996 की धारा 61(1) के तहत समय अवधि 30 दिन से अधिक होने से स्वीकार नहीं की जा सकती है, जिससे व्यथित होकर निगरानी निम्न आधारो पर प्रस्तुत कि जा रही है–

क – यह है कि अप्रार्थीगण स0 1 के पक्ष में ग्राम छानीबड़ी की रोही मौजा चक 5 सी.एच.एन. जो ख0न0 94 तादादी 1.138 हैक्ट0 भूमि गैरमूमकिन पाल है जिसमें 2000 वर्गफुट में अप्रार्थी स0 1 व 3 ने अप्रार्थी स0 2 के साथ साजबाज कर पटटे रामलाल पुत्र बद्रीराम जाति जाट निवासी छानीबड़ी के नाम पटटा न0 0 दिनांक 07.09.79 तादादी 24.5 गुणा 30 फुट जारी करवा लिया है। अप्रार्थीगण के पक्ष में ग्राम पंचायत छानीबड़ी द्वारा जारी पटटे जो की रिकार्ड में गै0मु0 पाल दर्ज है का पटटा बिना विधिक प्रकिया अपनाकर जारी किया गया है। जिसके विरूद्व प्रार्थी द्वारा अपील पेश की गई थी एवं मातहत अदालत द्वारा बिना विधिक प्रकिया अपनाकर मुल ही पत्रावली वापिस लौटाई गई है। एवं उपरोक्त निर्णय विधिक अवहेलना में पारित किया गया है, जो अपास्त योग्य है।

ख– यह है कि अप्रार्थी के पक्ष में जारी पटटा ग्राम पंचायत छानीबड़ी द्वारा पाल की भूमि पर जारी किये है न कि आबादी भूमि पर जारी किये है जो अपास्तनीय है।

Scanned by CamScanner

ग– यह है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिस पर मातहत अदालत ने कतई गौर नहीं किया एवं मातहत अदालत द्वारा बिना किसी विधिक प्रक्रिया अपनाकर पत्रावली वापिस लौटा दी गई जो कतई नियम विरूद्व एवं बिना विश्लेषण के निर्णय पारित किया गया है जो अपास्तनीय है।

निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन किया की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर निगरानी अधीन निर्णय दिनांक 31.08.18 पत्रांक 2831/2018 अनवानी स्टेट बनाम ओमप्रकाश आदि निरस्त फरमाया जावें एवं पटटा दिनांक 07.09.79 को निरस्त फरमाया जावें।

निगरानी प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी की तलबी कि गई अप्रार्थी की तामील चस्पादगी से होनी पाई जाती है परन्तु अप्रार्थी उपस्थित नहीं इनके उपस्थित नहीं आने के कारण इनकी अनुपस्थिति दर्ज की जाती है।

राज्य पक्ष की ओर से नायब तहसीलदार छानीबड़ी की एकपक्षीय बहस सुनी गई जिन्होने निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निगरानी स्वीकार कर प्रसंगत पटटा निरस्त करने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी चक 5 सीएचएन सम्वत 2073–2076 खाता स0 189/181 मु0न0/ख0न0 94 की 1.138 हैक्ट भूमि की किस्म गैर मुमकिन जोहड़ दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत इस श्रेणी की भूमि को अन्य उद्देश्य के लिए आवंटन/आरक्षित नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल रिट(पीआईएल) स0 1554/04 निर्णय दिनांक 12.01.17 अनवान गुलाब कोठारी बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य तथा डी.बी. सिविल रिट स0 1536/03 निर्णय दिनांक 02.08.2004 अनवानी अब्दुल रहमान बनाम स्टेट व अन्य में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किये गये है कि नदी नाला, वन विभाग एवं कैचमैन्ट एरिया में स्थित भूमि को अन्य किसी उद्देश्य के आवंटन/आरक्षित नहीं किया जा सकता। चुकि हस्तगत निगरानी में जो आवासीय पटटे ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये है वह जोहड़ की भूमि की पायतन(पाल) पर जारी किये गये है। ऐसे विधि विरूद्व पटटों को उक्त न्यायिक दृष्टांतो व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत आवंटन हेतु प्रतिबन्धित भूमि होने के कारण पटटा निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

अतः राज्य पक्ष द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर हस्तगत पटटा दिनांक 07.09.79 साइज 24.5 गुणा 30 जो रामलाल पुत्र बद्रीराम जाति कुम्हार साकिन छानीबड़ी के नाम ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 07.09.79 को जारी किया गया है, को निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार भादरा, नायब तहसीलदार छानीबड़ी व विकास अधिकारी पंचायत समिति भादरा व सरपंच ग्राम पंचायत छानीबड़ी को भेजी जावें। पत्रावली फैसला सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 06.08.2019 को सुनाया गया।

(अशोक असीजा)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned by CamScanner